

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) झ्योपुरा.....

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

समीना बानो

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत नाम डुरुस्ती U/S 88 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 157/2021

निर्णय दिनांक :- 08/12/2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/12/21 को श्री **राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - **दावा वादिनी स्वीकार**

**किया जाकर कृषि भूमि रोही दाणी लालसिंहपुरा के खाता नं. 129 पर अंकित समीना बानो पुत्री हसन खाँ के स्थान पर समीना बानो पुत्री हसन खाँ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त नाम के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होगा तो उसकी सम्बन्ध जिम्मेदारी वादिनी की होगी। तहसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलबंशमद करें।**

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



08/12/21  
( राहुल सैनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>रूपया</th> <th>रूपया</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> </tr> <tr> <td>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प</td> <td>अर्जी के लिए स्टाम्प</td> </tr> <tr> <td>3. प्रदर्शी के लिए स्टाम्प</td> <td>प्लीडर की फीस</td> </tr> <tr> <td>4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस</td> <td>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय</td> </tr> <tr> <td>5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय</td> <td>आदेशिका की तामील</td> </tr> <tr> <td>6. कमिश्नर की फीस</td> <td>कमिश्नर की फीस</td> </tr> <tr> <td>7. आदेशिका की तामिल</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td>जोड़</td> </tr> </tbody> </table>	रूपया	रूपया	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प	3. प्रदर्शी के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस	4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील	6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस	7. आदेशिका की तामिल		जोड़	जोड़	
रूपया	रूपया																		
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प																		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प																		
3. प्रदर्शी के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस																		
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय																		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील																		
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस																		
7. आदेशिका की तामिल																			
जोड़	जोड़																		

नाम सं 452  
08/12/2021

